राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः एफ 10( )चुनाव/जन/स्वाशा/21/1657-1668 जयपुर,दिनांकः 15/04/2021

प्रेषकः–
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग,
राज0 जयपुर।

प्रेषितिः–

जिला कलक्टर,
धौलपुर, दौसा, सिरोही, भरतपुर, जयपुर,
बांरा, करौली, अलवर, जोधपुर, कोटा,
सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर।

विषयः– बजट घोषणा 2020–21 की पालना में विभागीय अधिसूचना दिनांक 23.03.2021, 24.03.2021 एवं 25.03.2021 द्वारा नवगठित 17 नगरपालिकाओ के चुनाव 2021 हेतु नगरपालिकाओं में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डो के परिसीमंन के संबंध में।

.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 एवं 9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 17 नवगठित नगरीय निकायों में वार्डो की कुल संख्या का निर्धारण अधिसूचना दिनांक 10.06.2019 के आधार पर निम्नांनुसार किया गया हैः–

क्र. सं.	जिले का नाम	नगर पालिका का नाम	जनगणना 2011 के अनुसार प्रस्तावित वार्ड	नगर पालिका की कुल जनसंख्या
1.	धौलपुर	नगर पालिका बसेडी	25	22872
2.	धौलपुर	नगर पालिका सरमथुरा	25	21110
3.	दौसा	नगर पालिका मण्डावरी	20	10798
4.	सिरोही	नगर पालिका जावाल	20	10293
5.	भरतपुर	नगर पालिका सीकरी	25	17148
6.	भरतपुर	नगर पालिका उच्चैन	25	22445
7.	जयपुर	नगर पालिका बस्सी	35	26029
8.	जयपुर	नगर पालिका पावटा–प्रागपुरा	35	33031
9.	बांरा	नगर पालिका अटरू	25	24691
10.	करौली	नगर पालिका सपोटरा	20	11202
11	अलवर	नगर पालिका बानसूर	35	27354
12.	अलवर	नगर पालिका रामगढ	35	33194
13.	अलवर	नगर पालिका लक्ष्मणगढ	35	26103
14	जोधपुर	नगर पालिका भोपालगढ	25	21895
15.	कोटा	नगर पालिका सुल्तानपुर	25	24273
16.	सवाईमाधोपुर	नगर पालिका बामनवास	20	13397
17.	श्रीगगानगर	नगर पालिका लालगढ जाटान	25	16629

उपरोक्त नवगठित नगरपालिकाओं के चुनाव अतिशीघ्र आयोजित किये जाने है। प्रत्येक वार्ड का वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव नियमानुसार राज्य सरकार से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है। निधारित वार्डो का जनसंख्या के आधार पर तालिका 1 में दर्शायी गई, नगर पालिकाओं का वार्ड परिसीमांकन करना है। उक्त परिसीमांकन के दौरान नगर पालिकाओं के वार्ड प्रस्ताव तैयार करना, वार्ड प्रस्तावों की जांच करना एवं उसके बाद वार्डो का प्रारम्भिक प्रकाशन करना तथा वार्ड प्रस्तावों पर दावे एवं आपत्तिया का निपटारा कर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाना एवं वार्डो को अन्तिम कर राजपत्र में प्रकाशित करना आदि सभी कार्यवाही नियमानुसार की जानी आवश्यक है। अतः वार्ड गठन/परिसीमंन के लिए आपको निम्न अनुदेश दिये जाते है:-

"अनुदेश"

1. प्रत्येक नगर पालिका में वार्ड नगर पालिका हेतु निर्धारित सीटो के अनुरूप होगे।
2. यह संभव नही है कि सभी वार्डो की जनसंख्या का अनुपात समान हो। इसके समायोजन हेतु आनुपातिक सीमा से जनसंख्या 10 प्रतिशत अधिक हो सकती है अथवा 10 प्रतिशत कम हो सकती है। किसी भी परिस्थिति में सीमा का उल्लघंन नही किया जावे।
3. वार्डो की सीमाएं जहां तक संभव हो सड़क या गली के आधार पर निर्धारित की जावे और यदि इससे वार्ड का अनुपात बिगडता हो तो वार्ड रेखा काल्पनिक भी रखी जा सकती है।
4. नगर पालिका के वार्डो को बनाते समय यह सुनिचित कर लिया जावे कि कोई भी क्षेत्र वार्ड में से छूट न जावे।
5. वार्डो को इस प्रकार बनाये जो कि वार्ड लम्बे एवं सड़कनुमा नही हो तथा यह भी ध्यान रखे कि किसी वार्ड में कोई पाकेट न बन जाये।
6. वार्डो का गठन इस प्रकार किया जावे कि एक ही मकान दो वार्डो में विभाजित न हो पाये।
7. बडे शहरों में विधानसभा बाउण्ड्री को न तोडा जाये तथा दो विधानसभा क्षेत्रों के बाउण्ड्री का एक वार्ड न बनाया जावे।
8. नगर पालिका के वार्डो को पूर्ण रूप से पुलिस थाने की सीमा के साथ इस प्रकार बनाया जावे कि पूरा वार्ड एक थाने की सीमा में रहे। एक वार्ड दो अलग अलग पुलिस थाने की सीमा में विभाजित नही होना चाहिए।
9. नगर पालिका के वार्डो को यथा संभव विकास प्राधिकरण नगर/विकास न्यास के साथ इस प्रकार रखा जावे कि सम्पूर्ण वार्ड एक ही जोन में रहे।
10. नगर पालिका के वार्डो के गठन में उपायुक्त पुलिस के क्षेत्राधिकार के संबंध में इस प्रकार रखा जावे कि एक वार्ड अलग अलग पुलिस उपायुक्त/पुलिस स्टेशन में नही रहे।
11. नगर पालिका वार्डो के गठन में उपखण्ड अधिकारी, अति जिला कलेक्टर के क्षेत्राधिकार को भी ध्यान में रखते हुए इस प्रकार पुर्नगठित किया जावे कि सम्पूर्ण वार्ड एक ही क्षेत्राधिकार में रहे तथा उसमें पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी एवं डिस्कॉम के अभियन्ताओं के क्षेत्राधिकार के साथ भी समानता रखी जावे।
12. वार्डो का संख्याकनः- नगर पालिका में वार्डो का संख्याकन नगर पालिका के उत्तर पश्चिमी कोने से एन्टी-क्लोकवाईज प्रारम्भ करते हुए चक्रीय क्रम से किया जायेगा।
13. उक्त वार्डो के आरक्षण हेतु राजस्थान नगर पालिका निर्वाचक नियम, 1994 बनाये गये है। आरक्षण उक्त नियमों एवं वर्ष 2004 में जारी विभिन्न आदेशों के अनुसार किया जायेगा। वार्डो के संख्याकन एवं महिला आरक्षण आदि के लिय कार्य राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचक) नियम, 1994 के नियमों के प्रावधानों के अनुरूप ही करना है।

॥ 3 ॥

14. वार्ड प्रस्ताव की 5 प्रतियां (प्रारूप "क" ख.ग. नक्शा) में तैयार की जावेगी। जिसमें:–

अ. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र विशेषांक में प्रकाशन हेतु विशेष वाहक द्वारा प्रेषित की जावेगी।

ब. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।

स. संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी।

द. संबंधित नगर पालिका को कार्यालय उपयोग हेतु प्रेषित की जावेगी।

15. वार्ड प्रस्ताव तैयार करते समय आप नगर पालिका बोर्ड की सीमाओं व कार्यप्रणाली के अच्छी प्रकार से जानकार अधिकारी / कर्मचारी के द्वारा तैयार करवाये। इससे आपका कार्य सरल हो जायेगा।

कृपया निम्न कार्यक्रम के अनुसार समय पर कार्यवाही पूर्ण करे:–

क्र.स.	विषय / गतिविधियॉ	कुल दिवस	प्रस्तावित कार्यक्रम
1.	वार्डो में पुनसीमाकन के प्रस्ताव तैयार करना एंव प्रकाशन	15 दिन	15 अप्रैल 2021 से 29 अप्रैल 2021
2.	पुनसीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करना एंव आपत्तियॉ प्राप्त करना।	07 दिन	30 अप्रैल 2021 से 06 मई 2021
3.	वार्ड गठन प्रस्ताव मय नक्शे एवं प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किया जाना	04 दिन	07 मई 2021 से 10 मई 2021
4.	राज्य संरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण एवं प्रस्तावों का अनुमोदन	05 दिन	11 मई 2021 से 15 मई 2021

उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार परिसीमांकन कार्य एवं वार्डो का आरक्षण पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है। उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य प्रगति से संबंधित पत्र निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को संबोधित किया जायेगा। उक्त दिशा निर्देश वार्डो के पुनःसीमांकन हेतु आपकी सुविधा हेतु दिये जा रहे है। परन्तु वार्डो का पुर्नसीमांकन एवं पुर्नगठन करते समय इससे संबंधित नियमों एवं पूर्व में जारी निर्देशों का पूर्ण अध्ययन कर उन्ही के अनुसार कार्य का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करे।

आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: एफ.10( )चुनाव / जन / स्वाशा / 21 / 1669 – 1715 दिनांक: 15/04/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान।
2 विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4 निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान।

5. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, उप शासन सचिव/आयुक्त पंचायत राज विभाग, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर।
8. जिला कलक्टर, धौलपुर, दौसा, सिरोही, भरतपुर, जयपुर, बांरा, करौली, अलवर, जोधपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर।
9. समस्त संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर पालिका)।
10. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर को भेजकर लेख है कि संबंधित रो रागन्वय स्थापित कर उक्त रागयावधि में कार्यवाही पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करे।
11. अधीक्षक, राज्यकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
12. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी